अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/127/2016-17

20 मार्च, 2017

सेवा में,

श्री सन्त कुमार गिरि, अधिवक्ता,
ग्राम लक्ष्मीपुर-धूस, पोस्ट-तहसील
थाना-हाटा, जनपद कुशीनगर
उत्तर प्रदेश।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

उक्त संदर्भ में आपका 16.01.2017 का पत्र इस सचिवालय में 09.03.2017 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ आपने 10/- रूपये का पो.आ. संख्या 34एफ 142390 संलग्न कर अपने दिनांक 21.06.2016 व 13.01.2017 के ई-मेल पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके एक ही विषय के अनेक ई-मेल पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होते रहते हैं चूंकि यह विषय उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है ई-मेल द्वारा प्रेषित आपके सभी पत्र मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किये गये हैं और आपको सलाह दी गई थी कि अधिक जानकारी हेतु आप मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से संपर्क करें। अत: आपको पुन: सलाह दी जाती है कि आप कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से ही संपर्क करें।

धन्यवाद,

भवदीय,
हुरबी शकील
(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

Naresh Giri
20/3/17

सेवा में,

मा0उप राष्ट्रपति ~~अध्यक्ष~~ महोदय, / C.P.I.O.
कार्यालय जनसूचना अधिकारी
नई दिल्ली भारत

Vice President's Secretariat New Delhi 5716 Date 9/2/17

विषय:- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 21/06/2016 एवं 13/01/2017 को दिये गये ई-मेल पत्र पर वांछित सूचना प्राप्त करने के सन्दर्भ में आवेदन देने के सम्बन्ध में।

==

महोदय,

निवेदन है कि हम प्रार्थी के मुवक्किल सन्तोष, प्रमोद, विनोद पुत्रगण लल्लन ग्राम-जंगल पचरूखिया, थाना-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना, जिला-कुशीनगर, उ0प्र0मो0नं0-8948015025 द्वारा फर्जी केश में फंसाने के विरूद्ध आवेदन पत्र दिया था जो जिलामजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा अपने पत्रांक सं. 499(1)/पेशकार-2016 दिनांक 10 जून 2016 पत्रांक-498(1)/पेशकार-2016 दिनांक 10 जून 2016 में वारंट की कार्यवाही की गई है जो गलतहै। क्योंकि पेशकार/प्रशासनिक अधिकारी भरथ लाल श्रीवास्तव द्वारा रू. 15,000/-का डिमांड किया गया जिसे न देने पर मेरे मुवक्किलगण के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहतवारंट की कार्यवाही किया है जो आपसी रंजिश व ऐं-ठें, मैं-मैं के आधारित एन.सी.आर. पर किया गया है जिसमें हम प्रार्थी द्वारा उत्पीड़ने से मुक्ति/उचित न्याय/विधिक संरक्षण एवं स्वतः जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर से घटनास्थल के निरीक्षण को बात कही है परन्तु प्रशासनिक अधिकारी श्री भरथ लाल श्रीवास्तव द्वारा पैसा न मिलने के करण वारंट को कार्यवाही की गई है, के क्रम में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करता हूँ।

1- यह बताया जाय कि दिनांक 21/6/2016 एवं 13/1/2017 के ई-मेल आवेदन पर आप महोदय द्वारा कौन ~~से~~ सी कार्यवाही को गई? कृत कार्यवाही को प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराया जाय।

2- यह बताया जाय कि अगल बगल के ग्रामपंचायत एवं ग्रामपंचायत जंगल पचरूखिया के ग्रामप्रधान एवं सदस्यगण द्वारा लिखित साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से दिया है कि सन्तोष, प्रमोद व विनोद अच्छे व नेक व्यक्ति हैं। जिनको लिखित रूप में साक्ष्य देकर यह कहा है कि सन्तोष, प्रमोदव विनोद पुत्रगण लल्लन गुण्डा/अपराधी किस्म के व्यक्ति नहीं हैं बल्कि ये लोग एक शान्तप्रिय एवं सामाजिक किस्म के व्यक्ति हैं। तथा इनलोगों के विरूद्ध लगाये गये आरोप/गुण्डा ऐक्ट रंजिशवश जमीनीविवाद/पारिवारिक विवाद के कारण लगाया गया है जो निरस्त होने योग्य है। जिसे निरस्त करके प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त आवेदन में वर्णित पैरा 1 से 2 तक का वांछित सूचना जo सू0अधि0अधिनियम 2005 के ह तहत वांछित सूचना मानव अधिकार/भ्रष्टाचार के क्रम में उपलब्ध कराने की कृपा प्रदान की जाय।

संलग्नकः-रू. 10/-नगद/पो0आ0नं0- 34F142390

2-ई-मेल आवेदन पत्र दिनांक 21-06-2016समय 3.58सायं एवं दिनांक 13-1-2017 समय 5.06सायं को छायाप्रति।

प्रार्थी-
सन्त कुमार गिरि
एडवोकेट,
ग्राम-लक्ष्मीपुर-धूस,
पो0-तहसील-थाना-हाटा,
जनपद-कुशीनगर, उ0प्र0।
दिनांक 16 जनवरी 2017